रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227892 CG-DL-E-25062021-227892

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2365] No. 2365] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

का.आ. 2547(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इथाइलीन ग्लाइकोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-

- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इथाइलीन ग्लाइकोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. इथाइलीन ग्लाइकोल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

3501 GI/2021 (1)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2184 (अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर, 2020 के का.आ. संख्यांक 4781 (अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2547(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Ethylene Glycol (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Officiail Gazette.
- 2. In the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 2nd July, 2020 vide notification number S.O. 2184 (E), dated the 29th June,2020 and lastly amended vide notification number S.O. No. 4781(E) dated the 24th December,2020.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

- का.आ. 2548(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ईथर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ईथर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. ईथर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2183 (अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर, 2020 के का.आ. संख्यांक 4782 (अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

ORDER

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2548(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Ether (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) Short title and commencement. (1) This Order may be called the Ether (Quality Control) Amendment Order, 2021.
 - (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ether (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 2nd July, 2020 vide notification number S.O. 2183 (E), dated the 29th June, 2020 and lastly amended vide notification number S.O. No. 4782(E) dated the 24th December, 2020.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

- का.आ. 2549(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एन-बूटाइल एक्रीलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एन-बूटाइल एक्रीलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एन-बूटाइल एक्रीलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2182(अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर , 2020 के का.आ. संख्यांक 4783(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2549(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) Short title and commencement. (1) This Order may be called the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Amendment Order, 2021.
 - (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Officiail Gazette.
- 2. In the n-Butyl Acrylate (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 2nd July,2020 vide notification number S.O. 2182(E), dated the 29th June,2020 and lastly amended vide notification number S.O. 4783(E) dated the 24th December,2020.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

- का.आ. 2550(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, फ्थेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-
- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम फ्थेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. फ्थेलिक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.1402(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर , 2020 के का.आ. संख्यांक 4792(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2550(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 and section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) Short title and commencement. (1) This Order may be called the Phthalic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2021.
 - 2) It shall come in the force on the date of its publication in the Officiail Gazette.
- 2. In the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1402 (E), dated the 23rd April,2020 and lastly amended vide notification number S.O. 4792 dated the 24th December,2020.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

- का.आ. 2551(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. टेरेफथेलिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2185(अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर , 2020 के का.आ. संख्यांक 4785(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2551(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Terephthalic Acid (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Terephthalic Acid (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Terephthalic Acid (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 2nd July,2020 vide notification number S.O. 2185 (E), dated the 29th June,2020 and lastly amended vide notification number S.O. 4785(E) dated the 24th December,2020.

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2021

- का.आ. 2552(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, टोल्यूइन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टोल्यूइन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. टोल्यूइन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2186(अ) तारीख 29 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसका 24th दिसंबर, 2020 के का.आ. संख्यांक 4784(अ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

New Delhi, the, 24th June, 2021

- **S.O. 2552(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Toluene (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. (1) Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Toluene (Quality Control) Amendment Order, 2021.
 - (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Officiail Gazette.
- 2. In the Toluene (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Officiail Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 2nd July,2020 vide notification number S.O. 2186(E), dated the 29th June,2020 and lastly amended vide notification number S.O. 4784(E) dated the 24th December,2020.